न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00319

बाबू लाल आत्मज श्री नन्दलाल आयु 62 वर्ष जाति माली निवासी ग–4, शिव कुटिर अम्बेडकर कॉलोनी, कुन्हाडी कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. गोविन्द लाल आत्मज स्व0 रूपा जाति माली निवासी कैथून तहसील लाडपुरा कोटा ।
2. बजरंग लाल आत्मज स्व0 रूपा जाति माली निवासी कैथून तहसील लाडपुरा कोटा ।
3. धन्ना लाल आत्मज नन्दलाल जाति माली निवासी कैथून तहसील लाडपुरा कोटा ।
4. रामलीला पत्नी स्व0 हेमराज ।
5. दीपेश कुमारी पुत्री स्व0 हेमराज ।
6. पिंकी कुमारी पुत्री स्व0 हेमराज ।
7. रेखा कुमारी पुत्री स्व0 हेमराज ।
8. भुवनेश्वरी पुत्री स्व0 हेमराज ।
9. सतीश कुमार आत्मज स्व0 हेमराज निवासीगण कैथून तहसील लाडपुरा कोटा ।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महावीर गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 29.09.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम चेनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 22 की 38 बीघा 10

बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते में दर्ज है । उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। वादग्रस्त आराजी का विभाजन नहीं होने से वादी को लगान आदि जमा कराने में कठिनाई आती है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जावे तथा विभाजन के बाद पृथक–पृथक खाता कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे ।

4. प्रतिवादी ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.04.1989 के द्वारा वाद वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार कर डिक्री कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में पेश की गई जिसे न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 21.08.1993 के द्वारा रिमाण्ड कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए अपने निर्णय दिनांक 11.02.2017 के द्वारा वाद वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम दोनों स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी । तत्पश्चात् अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.05.2018 के द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री पारित कर दी ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25.05.2018 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 1/1 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट क्रम 3 लगायत 09 स्व0 नन्दलाल के वारिसान हैं जिनको उक्त आराजी में 1/4 हिस्सा प्रदान किया गया जिसमें खसरा नम्बर 127 की 0.125 हैक्टर, खसरा नम्बर 107 की 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 127 की 0.045 हैक्टर भूमि विभाजन में दिये जाने का प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया । उक्त प्रस्ताव पर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 08.05.2018 को आपत्ति प्रस्तुत कर दी गई थी और इसके साथ निवेदन किया था कि 0.90 हैक्अर भूमि जिसमें 1/4 हिस्सा के रूप में चार हिस्सों में विभाजन होना है जिसके अनुसार प्रत्येक का 0.225 हैक्टर भूमि प्राप्त होगी । परन्तु विभाजन प्रस्ताव में 0.24 हैक्टर भूमि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 सहखातेदार बलराज, राधेश्याम व दयाकंवर को गलत रूप से प्राप्त हिस्से से भी अधिक भूमि प्रदान करने हेतु विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार किये बिना ही मनमर्जी पूर्वक सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अंतिम डिक्री पारित की है । तहसीलदार लाडपुरा ने विभाजन प्रस्ताव कब्जे की स्थिति को देखे बिना तैयार किये हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री पारित करते समय राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.02.2017 को प्रारम्भिक डिक्री पारित की थी और अपीलाधीन निर्णय से अंतिम डिक्री पारित की है । विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध अंतिम डिक्री पारित की है । प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार 1/4 हिस्सा गोविन्द, 1/4 हिस्सा बजरंग लाल, 1/4 हिस्सा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट कम 3 लगायत 9 को और 1/4 हिस्सा बलराम, राधेश्याम पिसरान छोटेलाल, दयाकंवर बेवा छोटेलाल को दिये दोने का आदेश पारित किया गया था । विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई जिसमें यह कथन किया गया कि रेस्पोडेन्ट कम 1, 2 को 0.24 हैक्टर आराजी अधिक दी गई है जबकि समस्त पक्षकारों को 0.225 हैक्टर आराजी दी जानी चाहिए परन्तु इस पर विचार किये बिना अंतिम डिक्री पारित की गई है । राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 11.02.2017 को प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है और दिनांक 25.05.2018 को अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए अंतिम डिक्री पारित की गई है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनाक 17.01.2018 के बाद कोई आदेशिका अंकित नहीं की गई है । अपील मीमो के साथ बंटवारा प्रस्ताव की जो फोटो प्रति पेश की गई है वो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न नही है। बंटवारा प्रस्ताव की जो फोटो प्रति अपील मीमो के साथ पेश की गई है वह पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं और तहसीलदार को प्रेषित किये गये हैं जबकि तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने चाहिए । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बंटवारा प्रस्ताव आने और इस पर आपत्ति का निस्तारण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है । इस प्रकार राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । तद्नुसार पारित की गई अंतिम डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25.05.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार, लाडपुरा से पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बंटवारा प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 09.11.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 29.09.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29/9/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा